हिमाचल प्रदेश सरकार
पंचायती राज विभाग।

संख्याः पीसीएच–एचए(1)2/2019– विभाजन/पुर्नगठन 60854-58 दिनांक 25 सितम्बर, 2020

अधिसूचना

इस विभाग की अधिसूचना संख्या पीसीएच–एचए (1)2/2019– विभाजन/पुर्नगठनः 54154–57 दिनांक 26 अगस्त, 2020 के अन्तर्गत, जिला शिमला में ग्राम सभा क्षेत्रों को पुर्नगठित करने हेतु प्रस्तावना द्वारा सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों से आक्षेप एवं सुझाव आमन्त्रित किए गए थे तथा उपायुक्त शिमला को इस सम्बन्ध में आक्षेप/सुझाव प्राप्त करने और उन पर विचार करने के उपरान्त अन्तिम सिफारिश प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया गया था;

और क्योंकि उपरोक्त अधिसूचना में निर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त आक्षेपों /सुझाव पर विचार किया गया तथा विनिश्चय किया गया।

अतः जिला शिमला की निम्नलिखित ग्राम सभा क्षेत्रों के पुर्नगठन से सम्बन्धित पूर्व में जारी अधिसूचना को हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 (वर्ष 1994 का अधिनियम संख्याक 4) की धारा 3 की उप–धारा (2) द्वारा प्रदत शक्तियों के अधीन, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, जिला शिमला के निम्न अनुसूची में वर्णित ग्राम सभा क्षेत्रों को पुर्नगठित करने के सहर्ष आदेश प्रदान करते है। इन आदेशों के अन्तर्गत ग्राम सभा क्षेत्रों का पुर्नगठन विद्यमान पंचायतों के निर्वाचित पदाधिकारियों की पदावधि को प्रभावित नहीं करेगा।

क्र सं	वर्तमान ग्राम सभा का नाम जिससे क्षेत्रों/ग्रमों को अवर्जित किया जाना है	कोष्ठ संख्या 2 में वर्णित ग्राम सभा के ग्रमों के नाम	कोष्ठ संख्या 2 में वर्णित ग्राम सभा से अपवर्जित होने वाले ग्रमों के नाम	ग्रम सभा का नाम जिसमें कोष्ठ संख्या 4 में वर्णित ग्रामों को सम्मिलित किया जाना है	कोष्ठ संख्या 5 में वर्णित ग्राम सभा में पुर्नगठन उपरान्त समस्त ग्रामों ग्रामों के नाम	कोष्ठ संख्या 2 में शेष बचे ग्रामों के नाम	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**विकास खण्ड मशोबरा**						
	1 रामपुर क्योंथल	1 रामपुर	आंजी	वागी	1 वडोह	1 रामपुर	ग्राम सभा रामपुर क्योंथल से गांव आंजी को अपवर्जित करके ग्राम सभा वागी में सम्मिलित
		2 उपमुहाल रामपुर 2			2 वगना	2 उपमुहाल रामपुर 2	
		3 उपमुहाल रामपुर–3			3 पंती	3 उपमुहाल रामपुर–3	
		4 शगीन			4 धनोखर	4 शगीन	
		5 मधोली			5 चनान	5 मधोली	
		6 विजली			6 मझौला	6 विजली	
		7 खरोग			7 शिल्ली वागी	7 खरोग	

		8 हियोन			8 क्यारगी	8 हियोन	किया गया है।
		9 शमलीग			9 पटीना	9 शमलीग	
		10 दनूल			10 शिल्डू	10 दनूल	
		11 जडेहल			11 वलावग	11 जडेहल	
		12 दूह			12 आंजी	12 दूह	
		13 आंजी					

आदेश द्वारा
सचिव (पचांयती राज)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

पृ0 संख्याः उपरोक्तः 60854-858 **दिनांक** 25 **सितम्बर, 2020**
प्रतिलिपियां सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतुः

1 उपायुक्त शिमला, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ।
2 सचिव राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–2.
3 जिला पचांयत अधिकारी शिमला, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।
4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड मशोबरा, जिला शिमला हि0प्र0. ।
5 सम्बन्धित प्रधान/ सचिव ग्राम पचांयत, विकास खण्ड मशोबरा, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

अतिरिक्त निदेशक,
पचांयती राज विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–9.